A8

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/18/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक– 30.01.2019

श्री राजेन्द्र सिंह तंवर निवासी एफ. सी. आई. गोदाम के पीछे, राठौड़ हाऊस, चन्देरिया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 26.02.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 04.12.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 18/2019/(26.02)/72 दिनांक 30.01.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 26.02.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 26.02.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/31 दिनांक 31.01.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)

1. यह है कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह तंवर निवासी एफ. सी. आई. गोदम के पीछे, राठौड़ हाऊस, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2018 को प्रस्तुत किया जो सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 सहधारा 3 के तहत प्रार्थना पत्र अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/2042 दिनांक 20.12.2018 को स्थानान्तरण किया गया है, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह है कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी जाने से अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/31 दिनांक 31.01.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/2042 दिनांक 20.12.2018 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दे दी।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आदेश कमांक प.5 (1) पीएचई/2010–पार्ट–प्रथम जयपुर दिनांक 19.07.2011 के उपरांत तहसील गंगरार के ग्राम जोजरों का खेड़ा के आराजी संख्या 5, 6, व 7 में जारी की गई ट्यूबवेल निर्माण की अनुमति संबंधी सूचनाएें/प्रमाणित प्रतियां चाही गई जो कि जन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 18 / 2019 (सू.अ.)
श्री राजेन्द्र सिंह तंवर निवासी चन्देरिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी का आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को धारा 6 (3) के तहत निर्धारित अवधि में स्थानान्तरित करते हुए, उसकी सूचना अपीलार्थी को भी उपलब्ध करा दी गयी थी। जिससे इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना चाहने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़ से सम्पर्क करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 18 / 2019(सू.अ.) / 129 दिनांकः– 26 / 02 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री राजेन्द्र सिंह तंवर निवासी एफ. सी. आई. गोदाम के पीछे, राठौड़ हाऊस, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)